



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22580-DB

उच्च न्यायालय न्यायपालिका इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - **29930/25**

विकास कुमार अल्पवयस्क

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: दिनेश चन्द्र राजपूत, सलमान अहमद

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 27.11.2025 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिससे थाना निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में मुकदमा अपराध संख्या 395/2025, धारा 101(1), 115(2), 352, 351(3), 126(2) बी.एन.एस. के अंतर्गत उत्पन्न हुआ है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित कोई भी अपराध प्रकट नहीं होता है और इस प्रकार, आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त किए जाने योग्य है।
4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपराध प्रकट होता है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी, रिपोर्टेड इन (2017) 2 एससीसी 779, नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, रिपोर्टेड इन (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय दाण्डिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य में प्रतिपादित विधि के आलोक में आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट निरस्त नहीं की जा सकती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए विरोधी तर्कों पर विचार करने के उपरांत तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत सुसंगत विधि को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को देखते हुए कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञेय अपराध प्रकट करती है, हमारी यह राय है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त नहीं किया जा सकता है, अतः आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता है।
6. हालांकि यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत/नियमित जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसके जमानत आवेदन पर विधि के अनुसार यथाशीघ्र विचार किया जाएगा और उसे निस्तारित किया जाएगा।
7. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान रिट याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 2, 2026

एन.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"